



## निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,  
सदस्यगण,  
**आरईसी लिमिटेड**  
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ("सूचीकरण विनियम") (यथा संशोधित) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.  
सनदी लेखाकार  
आईसीएआई फर्म पंजी.: 0 0 1135एन

नाम - एस. मूर्ति  
पदनाम: भागीदार  
सदस्यता संख्या: 0 72290  
यूडीआईएन: 220 7229 0 एपीपीसीवाईडब्ल्यू370 0

हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 तक, सीपीएसई, 2010 के लिए, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति को छोड़कर, कंपनी निगमित सुशासन की आवश्यकता के अनुपालन में थी जैसा कि सूचीबद्ध विनियमों और दिशानिर्देशों में निर्धारित है। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी में, सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो प्रशासनिक मंत्रालय, यानी विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और यह कंपनी के नियंत्रण के अधीन नहीं है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता का, जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.  
सनदी लेखाकार  
आईसीएआई फर्म पंजी.: 0 0 0 0 18एन /एन 5 0 0 0 91

नाम - अतुल अग्रवाल  
पदनाम: भागीदार  
सदस्यता संख्या: 0 92656  
यूडीआईएन: 220 92656 एपीओएफएनसी3555

दिनांक: 20 अगस्त, 2021  
स्थान: नई दिल्ली